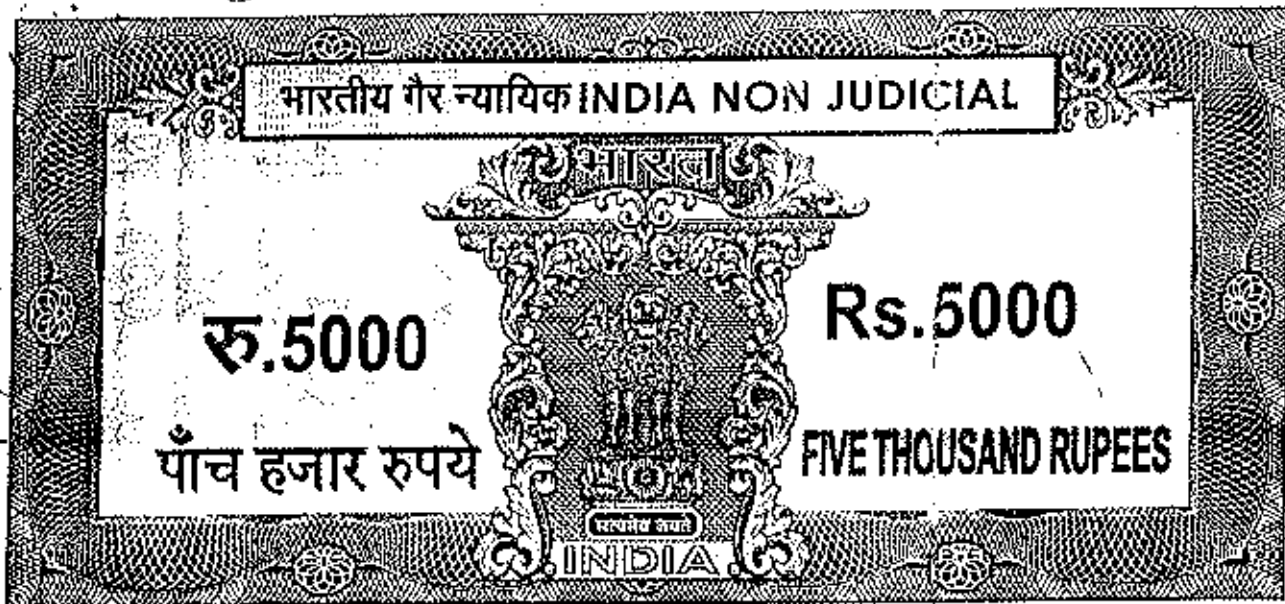




Summary of Endorsement

This document was presented for registration on this Friday, the 12th of August 2011 by Lalpur.

A stamp duty of Rs. 155800/- and other fees of Rs. 979/- has been paid in it.

The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as deed no. 21176 in Book No. 1, Volume No. 56 on pages from 382 to 401 and has been preserved in total 20 pages in G.D. No. 56 / Year 2011.

SCANNED

Date : 12/08/2011

Taken No. - 26000 / 2011

Signature of the
(Ashok Kumar) Registrar
Registering Office, Lalpur

विकास कार्य एकरचना (Development and Construction Agreement)

यह एकरचना (एग्रीमेंट) आज दिनांक 12.08.2011 ई. को निम्नांकित पक्षों के बीच निष्पादित किया जाता है।

लेख्यकारीगण का नाम एवं पता:-

(1) श्री ललन सिंह उर्फ ललन कुमार सिंह पिता का नाम स्व. बोलदेव सिंह



Handwritten signatures and names of the parties involved in the agreement.

Handwritten notes and signatures on the right side of the document, including 'Lalpur' and '12/8/11'.

Serial No : 25534
Token No : 26090
Type & Status
of Party

Deed No : 21170
of 2011
Name of Party

Photo

Thumb

Index

Middle

Ring

Little

In Favour of

Amil Prakash (Dir.)
Amil Prakash
12/08/11



In Favour of

Signature of Party
Girdal Kumari (M. Dir.)
Girdal Kumari
12-8-11



Presented by
Self

Signature of Party
Lalan Singh



12/8/2011

Signature of Party
Shambhu Singh

Executed by

Signature of Party
Shambhu Singh
12/8/2011



Executed by

Signature of Party
Sanjiv Kumar
12/8/11



Executed by

Signature of Party
Ravindra Kumar



12-8-2011

Signature of Party

Executed by

Lalan Singh



Executed by

Signature of Party
Lalendra Kumar Singh



12-8-2011

Signature of Party

(2)

- (2) श्री लल्लू कुमार सिंह पिता का नाम स्व. बालदेव सिंह
(3) श्री रामभु सिंह पिता का नाम स्व. रामदेव सिंह
(4) श्री संजीव कुमार उर्फ संजय कुमार सिंह पिता का नाम स्व. रामदेव सिंह
(5) श्री रविन्द्र कुमार उर्फ पिन्दू कुमार पिता का नाम स्व. रामदेव सिंह, सभी निवासी ग्राम- जलालपुर, पोस्ट- सहाय नगर, थाना- रूपसपुर, जिला- पटना, "भूखण्ड स्वामिणी" जिनका संबंध भूखण्ड स्वामी के भूखण्ड से निहित प्रतिनिधि उत्तराधिकारी सदस्य/प्राधिकृत अधिकर्ता एवं प्रशासकीय प्रतिनिधि सम्मिलित है।

एवं

मौ तारा कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपमेंट प्रा.लि., जिला-पटना, निबंधित कार्यालय-बी.एन. कॉम्प्लेक्स, रामनगरी से. III पटना-25, द्वारा निदेशक श्रीमती गुड्डडी कुमारी जौजे श्री अवधेश कुमार निवासी- अजंता कॉर्पोरेटिव, राजीव नगर, रोड नं. -1, पटना-24 एवं निदेशक, श्री अमित प्रकाश वल्द श्री गिरजेश कुमार, निवासी- राजीव नगर, रोड नं.- 6, सुगंध कॉर्पोरेटिव, पटना-24, जिला- पटना, जिसे आगे विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष) कहा गया है।

यहाँ "विकासकर्ता" (द्वितीय पक्ष) से अभिप्राय यह है कि उनके उत्तराधिकारी, कार्यालय उत्तराधिकारी एवं प्राधिकृत एजेंट एवं चयनित उत्तराधिकारी से है, जिसका संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय पक्ष से है, सम्मिलित किया जाता है।

यह कि उपर वर्णित प्रथम पक्ष के सदस्य भूखण्ड स्वामिणी है जो कि नीचे वर्णित भूखण्ड रकबा- एराजी- 5 कट्ठा (पाँच कट्ठा) है, जिस पर प्रथम पक्ष स्वामी के रूप में निर्विवाद रूप से दखल कब्जे में चली आ रही है, जो कि महल्ला- अभिमन्यु नगर, मौजा- जलालपुर, थाना- दानापुर, वर्तमान थाना- रूपसपुर, अवर निबंधन कार्यालय दानापुर, एवं जिला निबंधन कार्यालय पटना क्षेत्रान्तर्गत है जिसका सर्वे थाना- नं.-22, (बाईस), तौजी नं.- 5780 (पाँच हजार सात सौ अस्सी), खाता नं.-186 एवं 187 (एक सौ छियासी एवं एक सौ सत्तासी), सर्वे प्लॉट नं.- 354 एवं 355 (तीन सौ चौवन एवं तीन सौ पचपन) जो निजामत नगर पालिका दानापुर के अन्तर्गत है जिसका वार्षिक लगान अंचलाधिकारी दानापुर, के माध्यम से जमाबंदी संख्या- 1322/ए एवं 57 पर भुगतान किया जाता है जिसकी प्रतिलिपि निम्नलिखित है:-



Shri Raja Construction & Development (P) Ltd.
Gundoli Kumari
Amit Prakash
12/08/11 Director

संजीव कुमार उर्फ संजय कुमार

12/8/11

रविन्द्र कुमार उर्फ पिन्दू कुमार
12/8/11

Sanjay Kumar Singh
12/8/2011

रविन्द्र कुमार उर्फ पिन्दू कुमार
12/8/11

(3)

चौहद्दी

उत्तर - श्री सत्यानन्द सिंह

दक्षिण - सर्वे प्लॉट नं.- 355 का अंश भाग

पूरब - इस विलेख के जमीन मालिक की जमीन जिसमें प्रस्तावित रास्ता है।

पश्चिम- श्री संजय सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री नागेन्द्र सिंह

1. यह कि उपर्युक्त सम्पत्ति में लेख्य प्लॉट सर्वे खतियान में बकास्त मालिक रामा सिंह बगैरह दर्ज है। रामा सिंह अपने एक मात्र पुत्र सिया शरण सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। सिया शरण सिंह भी अपने तीन पुत्र बलदेव सिंह, रामदेव सिंह एवं सत्यानन्द सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। बलदेव सिंह भी अपने दो पुत्र ललन सिंह एवं ललेन्द्र कुमार को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। रामदेव सिंह भी अपने तीन पुत्र शम्भु सिंह, संजीव कुमार उर्फ संजय कुमार सिंह तथा रविन्द्र कुमार उर्फ पिन्दू कुमार को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। सत्यानन्द सिंह के दो पुत्र धर्मेन्द्र सिंह एवं जितेन्द्र सिंह हैं। अन्तराल में लेख्य सम्पत्ति सहित अन्य सम्पत्तियाँ आपस में खानगी तौर पर बंट गये जिसका यादास्त दिनांक 03.11.2001 को तैयार किया गया। जिसके अनुसार लेख्य प्लॉट संख्या- 354 एवं 355 में 20.66 डिसमील जमीन ललन सिंह एवं ललेन्द्र कुमार के हिस्से में मिली तथा 20.66 डिसमील जमीन शम्भु सिंह, संजीव कुमार उर्फ संजय कुमार सिंह तथा रविन्द्र कुमार उर्फ पिन्दू कुमार के हिस्से में मिली, और अपने हिस्से में मिली सम्पत्ति पर स्वामी के रूप में निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जे में रहते हुए सरकार को लगान भुगतान कर रसीद कटाते चली आ रही है। इस तरह अपने परिवार के हित में वर्णित सम्पत्ति को किसी भी तरह से अंतरण करने का पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष भूस्वामीगण धारित करते हैं।

यह कि उपर्युक्त जमीन में सड़क की चौड़ीकरण के लिए अर्जन होने की सम्भावना है जिसके पश्चात् 5 कट्ठा जमीन बच जाने की सम्भावना के कारण इस विलेख में केवल पाँच कट्ठा जमीन की ही विकास एकरारनामा किया जा रहा है। यदि सम्भावित अर्जन से और अधिक जमीन बचेगी तो उसका भी विकास एकरारनामा इस विलेख के विकासक के साथ ही किया जायेगा किसी दूसरे विकासक के साथ नहीं।

यह कि उपर वर्णित सम्पत्ति हर तरह के स्थापत्य,

Area Not Contained in District P/L
Custody Remains
Amit Rastogi
12/08/11 Director

Lalun Kumar Singh
12/8/11

रंजीत कुमार उर्फ संजय कुमार

रंजीत कुमार उर्फ संजय कुमार

ऋणभार एवं अन्य किसी भी प्रकार के विवाद से मुक्त है। जिसपर प्रथम पक्ष जो कि भूखण्ड स्वामीगण है, उनका उपर्युक्त वर्णित सम्पत्ति पर निर्विवाद स्वामित्व है।

3. यह कि भूखण्ड स्वामीगण अपनी स्वेच्छा से उपर वर्णित भूखण्ड का संरचनात्मक विकास के लिए साथ-साथ उक्त भूखण्ड पर एक बहुपंजिला इमारत एवं आधुनिक तकनीक से फ्लैटों का निर्माण करवाने हेतु द्वितीय पक्ष-विकासकर्ता के साथ इस भूखण्ड पर निर्माण यह विकास एकरारनामा उभय पक्षों के बीच निष्पादन आपसी सहमति एवं निर्धारित शर्तों पर पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता की हालात में अपना-अपना नफा-नुकसान सोच-समझकर बिना किसी के जोर दबाव के किया गया है। इस एकरारनामे को दोनों पक्षों के बीच पार्टनरशीप नहीं माना जाएगा।

4. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष इस जमीन पर उपर्युक्त लिए गये निर्णय के अनुसार फ्लैटों का निर्माण करने के लिए सहमत है। इस निर्माण कार्य में जो भी खर्च होगा उस खर्च को विकासकर्ता स्वयं पूर्णतः वहन करेंगे।

5. यह कि एकरारनामा के होते ही विकासकर्ता (द्वितीय पक्ष), भूखण्ड स्वामिणी के अनुमोदन-से-उक्त जमीन के विकास के लिए अनिलम्ब ही नक्शा बनाएंगे जिसमें कि दोनों पक्षों को अधिक से अधिक लाभ हो सके।

6. यह कि भूखण्ड पर उपर्युक्त नक्शा पी.एम.सी./निजामत नगर पालिका दानापुर से स्वीकृत कराने के लिए भूखण्ड एवं विकासकर्ता के हस्ताक्षर से जमा किया जायेगा। इसमें किसी भी पक्ष को एतराज नहीं होगा। परन्तु इसमें जो खर्च होगा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष वहन करेंगे।

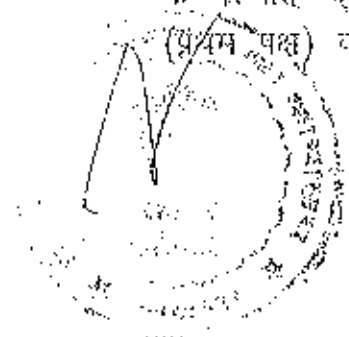
7. यह कि विकासकर्ता और जमीन मालिक निर्मित भू-तल (पार्किंग) एवं फ्लैटों का बंटवारा पी.एम.सी. से नक्शा पास हो जाने के बाद ही कर लेंगे तथा प्रथम पक्ष जमीन मालिक के हिस्से में 53 प्रतिशत और द्वितीय पक्ष विकासकर्ता के हिस्से में 47 प्रतिशत होगा। जमीन मालिक के फ्लैटों तथा भू-तल (पार्किंग) हिस्सा 53 प्रतिशत जमीन मालिक के मर्जी से एवं 47 प्रतिशत विकासकर्ता की मर्जी से दिया जायेगा।

8. यह कि विकासकर्ता द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य पूरा करने के पश्चात् कुल निर्मित क्षेत्रफल का 53 प्रतिशत भूखण्ड स्वामी (प्रथम पक्ष) को पूर्ण रूप से विकसित नगर नर सुविधा के साथ

Shri. B. S. Choudhary & Associates P. Ltd.
Chartered Accountants
Amit Kumar
12/08/2011

12/08/2011

रविन्द्र कुमार उर्फ पिन्डू कुमार
12/8/11
रविन्द्र कुमार उर्फ पिन्डू कुमार
12/8/2011



सौपेगे तथा शेष हिस्सा 47 प्रतिशत क्षेत्रफल विकासकर्ता द्वितीय पक्ष का होगा।

9. यह कि विकासकर्ता एवं जमीन मालिक के लिए फ्लैटों के बंटवारे में वैसा फ्लैट जो दोनों के हिस्से में आयेगा, उसका रूपये के रूप में लेन-देन के द्वारा तत्कालिन दर के अनुसार किया जाएगा।

10. यह कि विकासकर्ता एकरारनामा होने के दिन से 3 वर्ष (तीन वर्ष) के अन्दर निर्माण कार्य को अवश्य पूरा करेंगे और यदि किसी कारणवश विकासकर्ता उक्त अवधि के अन्दर निर्माण कार्य पूरा नहीं करते हैं तो वैसी स्थिति में द्वितीय पक्ष विकासकर्ता को 6 माह (छह माह) का ग्रेस पिरियड दिया जायेगा तथा उसके पश्चात् भी भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाता है तो वैसी स्थिति में विकासकर्ता जमीन मालिक को मो. 25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये प्रति माह हर्जाना के रूप में भुगतान करेंगे।

11. यह कि भूखण्ड स्वामी ने यह विश्वास दिलाया है कि इस एग्रीमेन्ट के संदर्भ में विकासकर्ता के निर्माण कार्य के प्रगति हेतु अधिकार दिये जायेंगे। प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को पूर्ण निर्माण कार्य के लिए प्राधिकृत करेंगे तथा जिसके तहत द्वितीय पक्ष को अपने हिस्से का 47 प्रतिशत फ्लैटों तथा पार्किंग एरिया का 47 प्रतिशत विक्री एवं एकरारनामा करने का अधिकार प्राप्त होगा। एवं 53 प्रतिशत बिल्टप एरिया प्रथम पक्ष का हक होगा।

12. यह अगर भविष्य में यह बहुमंजिला इमारत के बाद पी.एम. सी./निजामत नगर पालिका से स्वीकृत नक्शे के आधार पर निर्मित अपार्टमेन्ट के उपर, निर्माण करने की स्वीकृति मिलती है तब इसमें भी दोनों पक्ष को पूर्व के निर्धारित हिस्सेदारी के अनुरूप यथा-प्रथम पक्ष 53 प्रतिशत तथा 47 प्रतिशत हिस्सा होगा एवं इसके निर्माण में जो सर्च होगा उसका वहन द्वितीय पक्ष विकासकर्ता करेंगे।

13. यह कि विकासकर्ता पहले भूखण्ड स्वामी के हिस्से का 53 प्रतिशत निर्माण पूर्ण सभी सुविधाओं के साथ विकसित कर निर्धारित अवधि के अन्दर सौंप देगे।

14. यह कि प्रथम पक्ष तथा उनके उत्तराधिकारी निर्माण कार्य की अवधि में कार्य के समय निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं।

15. यह कि एग्रीमेन्ट के तहत उभय पक्ष एक दूसरे को यह भी विश्वास दिलाते हैं कि प्रस्तावित योजना पारूप के अनुसार कुल सौंपे गए क्षेत्र में प्रस्तावित सुविधाओं के साथ उक्त, सीढ़ी,

Mr. B. S. Construction & Development Co. Ltd.
Gundachan, Khamrui
Amit Prakash
12/08/11 Director

रंजित कुमार
रंजित कुमार
रंजित कुमार

12/18/11

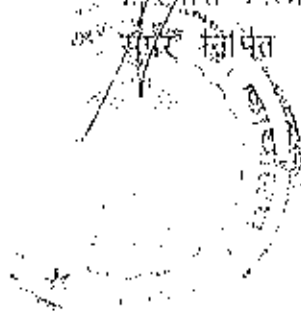
रंजित कुमार

12/18/2011

रंजित कुमार

रंजित कुमार

रंजित कुमार



बॉलकोनी, एमिनिटीज, फ्लैटों का उपयोग एवं उपभोग उनके क्रमशः आवंटित हिस्से पर स्वयं अथवा उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि या खरीदार वगैरह अथवा सोसायटी उपयोग के लिए स्वतंत्र होंगे।

16. यह कि निर्माण कार्य के मार्ग में द्वितीय पक्ष के द्वारा कार्य सम्पादन हेतु सभी तरह के कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने का अधिकार होगा। जिससे कि प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन हो सके। निर्माण कार्य में लागत पूँजी का कुल समावेश द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा। पूँजी मुहैया हेतु द्वितीय पक्ष के हिस्से का खरीदार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान से आर्थिक ऋण लेने बुकिंग कार्य/आर्थिक ऋण उगाही अपने 47 प्रतिशत-क्षेत्र पर ही द्वितीय पक्ष करेगा। विसी भी हालत में प्रश्नगत पूर्ण भूखण्ड अथवा प्रथम पक्ष का 53 प्रतिशत फ्लैट एवं पार्किंग एरिया का हिस्सा विकासकर्ता बंधक नहीं रखेगा।

Defence

17. यह कि सरकारी नीतियों के कारण या न्यायालय के आदेश के तहत निर्माण कार्य रूक जाये तब वैसी हालत में विकासकर्ता का दोष नहीं होगा। इस हालत में विकासकर्ता द्वारा कार्य करने की अवधि जितने दिन कार्य बंद होगा उतना ही दिन के लिए निर्माण समय बढ़ा दिया जायेगा।

18. यह कि सभी संबंधित व्यक्ति विशेष जैसे-वास्तुविद, रचनाकार अभियंता, सर्वेयर, निर्माण सामग्री आदि हेतु की नियुक्ति-विकासकर्ता अपने खर्च पर करने के लिए प्राधिकृत है।

19. यह कि बहुमंजिला इमारत योजना प्ररूप के अनुसार निर्माण कार्य के लिए सिमेंट, औजार, ईट, विद्युत कनेक्शन, लोहा आदि अन्य संबंधित कार्य हेतु संबंधित पदाधिकारियों के पास आवेदन विकासकर्ता कर सकते हैं।

20. यह कि द्वितीय पक्ष अपने 47 प्रतिशत हिस्से का एग्रीमेंट, निर्विवाद विक्रय पत्र आवंटन, किरायनामा आदि अभिलेख हेतु वांछित लेकर उक्त अभिलेखों का निष्पादन करेगा।

21. यह कि जब कभी विकासकर्ता को भूखण्ड स्वामी की किसी वसीका पर हस्ताक्षर निष्पादन के समय जरूरत पड़ेगी तब उनको साथ लेकर उनकी सहमति से किसी भी तीसरे पक्ष के साथ खरीद-फरोकत के लिए स्वामित्व हस्तांतरण हेतु हस्ताक्षर कर देगा। उसी प्रकार अपनी मालिक भी अपने हिस्से पर पड़ने वाले फ्लैट या पार्किंग क्षेत्र का पूर्ण स्वामी होगी तथा हस्तांतरण के समय अगर आवश्यक हो तो तब विकासकर्ता निष्पादन के समय हस्ताक्षर कर

For the Construction & Development of the
Gurukul Khuram
12/8/11
Amit Khuram
12/08/11 Director

रंजीव कुमार उर्फ रंजीव कुमार
12/8/11

रविंद्र कुमार उर्फ पिण्डु कुमार
12/8/11

रंजीव कुमार
12/8/11
रंजीव कुमार
12/8/11



22. यह कि भूखण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज प्रथम पक्ष के पास सुरक्षित रहेंगे। किन्तु द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष अपार्टमेंट निर्माण पूरा हो जाने पर मूल दस्तावेज सौंपकर उसका रिसीभिग प्राप्त कर लेगे।

23. यह कि इस एकरारनामा के अनुसार द्वितीय पक्ष किसी अन्य पक्ष की साझेदारी नहीं करेंगे स्वयं अपने बैनर तले कार्य करेंगे

24. यह कि प्रस्तावित योजना के तहत भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारूप की स्वीकृति पी.एम.सी./निजामत नगर पालिका दानापुर के द्वारा होने के बाद पी.एम.सी./निजामत नगर पालिका दानापुर के नियम से निर्माण किया जायेगा एवं प्रस्तावित योजना से ज्यादा एरिया का निर्माण कार्य किया जायेगा तो उसके विरुद्ध दण्ड राशि द्वितीय पक्ष को वहन करना पड़ेगा।

25. यह कि उभय पक्षों के बीच यह भी सहमति हुई कि निर्मित क्षेत्रों का स्थानान्तरण क्रेता को सरकारी खर्च, स्टाम्प ड्युटी खर्च एवं कोर्ट खर्च एवं रजिस्ट्रेशन इत्यादि खर्च का वहन खरीदार स्वयं करेंगे।

26. यह कि बहुमंजिला इमारत में विद्युत कनेक्शन की जमानत राशि एवं अन्य खर्च हरेक फ्लैटधारी से लेकर हर फ्लैट में बिजली कनेक्शन एवं लिफ्ट तथा इंटर कॉम, ट्रांसफार्मर इत्यादि जेनरेटर लाईन 500 वाट का होगा जो प्रत्येक फ्लैटों में जोड़ा जायेगा।

27. यह कि किसी तरह का विवाद या मतभेद एग्रीमेंट के अनुसार उत्पन्न होता है तो भूस्वामी एवं विकासकर्ता निष्पक्ष एवं स्वतंत्र पंच की नियुक्ति भारतीय आरविट्रेशन एक्ट 1996 संशोधित नियम के तहत किया जायेगा। विकासकर्ता अगर बिना किसी ठोस कारण के निर्माण कार्य छोड़कर भाग जाते हैं तो भूस्वामी उन्हें कुछ भी राशि हर्जाना स्वरूप नहीं देगी तथा पूर्ण सम्पत्ति पर भू-स्वामी का अधिकार हो जायेगा।

28. यह कि कार्य पूरा होने के बाद विकासकर्ता और प्रथम पक्ष एक एसोसिएशन सभी सदस्यों को बनाया जायेगा। इस अपार्टमेंट में रहने वाले सभी सदस्य इस एसोसिएशन के सदस्य होंगे और सभी सदस्य मिलकर अपार्टमेंट का रख-रखाव एवं देख-भाल करेंगे। सभी सदस्य रख-रखाव हेतु निर्धारित राशि मेन्टेनेन्स हेतु अनिवार्य रूप से देंगे।

29. यह कि अपार्टमेंट में विद्युत ट्रांसफार्मर एवं जेनरेटर बनाया जायेगा जिसकी खर्च विकासकर्ता करेंगे।

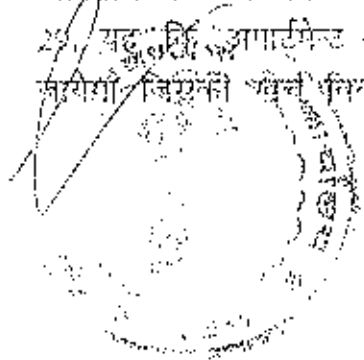
For Construction & Development File
Gundlupet
Amit Reddy
12/08/11 Director

संजय कुमार उर्फ संजय कुमार

12/8/11

रविन्द्र कुमार उर्फ पिन्डू कुमार
12/8/11

12/8/2011
12/8/11
12/8/11
12/8/11



30. यह कि निर्माण कार्य के दौरान विकासकर्ता अर्थात् द्वितीय पक्ष की गलती के कारण घटना-दुर्घटना या सरकारी विभागों के दण्ड की जावाबदेही विकासकर्ता की होगी।

31. यह कि विकास कार्य एकरारनामा के अनुसार बहुमंजिला इमारत के परकिंग एरिया के जमीन मालिक का 53 प्रतिशत शेयर होगा।

32. यह कि मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रूप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

अनुसूची-1

वह आवासीय परती जमीन जो महल्ला- अभिमन्यु नगर,
मौजा- जलालपुर, थाना- दानापुर, वर्तमान थाना- रूपसपुर, अवर
निबंधन कार्यालय दानापुर, एवं जिला निबंधन कार्यालय पटना
क्षेत्रान्तर्गत है जिसका सर्वे थाना- नं.-22, (बाईस), तौजी नं.-
5780 (पाँच हजार सात सौ अस्सी), खाता नं.-186 एवं 187 (एक
सौ छियासी एवं एक सौ सत्तासी), सर्वे प्लॉट नं.- 354 एवं 355
(तीन सौ चौवन एवं तीन सौ पचपन) जिसकी एराजी- 5 कट्ठा
(पाँच कट्ठा) जो 15.625 डिसमील के समतुल्य है, जिसका चौहद्दी
निम्नवत् है:-

चौहद्दी

उत्तर - श्री सत्यानन्द सिंह

दक्षिण - सर्वे प्लॉट नं.- 355 का अर्ध भाग

पूरब - इस विलेख के जमीन मालिक की जमीन जिसमें
प्रस्तावित रास्ता है।

पश्चिम- श्री संजय सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री रामेन्द्र सिंह
नोट :- उपर्युक्त समिति वर्ष 2011-12 के शुुगत पर पंजी के
कोड नं. 126 जोर 3, पर अंकित है, जिसका वर्तमान बाजार
मूल्य मो. 77/50,000/- (अठारह लाख पचास हजार) रुपये है।

For the Construction Department
Charan Kumar
12/08/11
Amit Kumar
12/08/11

संजय कुमार उर्फ राजेश कुमार
12/08/11

रवि कुमार उर्फ पिन्डू कुमार
12/08/11

Charan Kumar & Lakshmi Kumar

12/08/2011

संजय सिंह
12/08/11

रवि कुमार
12/08/11



(9)

परिशिष्ट

1. स्ट्रक्चर :- आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर वर्तमान आई.एस. कोड के अनुसार
2. छत :- आर.सी.सी. वर्तमान आई.एस.कोड के अनुसार
3. फर्श :- मार्बल/भिट्टीफाईड टाइल्स
4. प्लास्टर :- उत्तम कोटी का सीमेन्ट मोर्टार (1:6), सीलिंग (1:4)
5. दरवाजा :- सखुआ लकड़ी का चौखट, सभी दरवाजा 32 एम.एम. मोटा फैक्ट्री से निर्मित फ्लाश डोर आई.एस.आई. मार्का दीमक एवं वाटर प्रूफ, प्राइमर और पेन्ट सहित।
6. खिड़की :- एल्युमिनियम खिड़की शीशा लगाकर अथवा सखुआ, गम्हार लकड़ी का खिड़की एवं ग्रील शीशा खिड़की
7. रसोईघर :- ग्रेनाइट का वर्किंग प्लेटफार्म, स्टील सिंक तथा दिवाल में 24 इंच ग्लेज्ड टाइल्स सोमानी, डायनिंग रूम में भी एक वॉश बेसीन रहेगा।
8. बाथरूम :- दीवाल 7 फीट ग्लेज्ड टाइल्स तथा सतह में मार्बल/भिट्टीफाईड टाइल्स, जल आपूर्ति फिटिंग नल फिटिंग जगुआर कम्पनी का, चीनी मिट्टी का सफेद पैरीवेयर पैन फिटिंग।
9. विद्युत वायरिंग :- कौन्सिल, पी.भी.सी. कॉन्ड्यूट वायरिंग सहित एन्कर का फिटिंग स्वीच।
10. टी.भी. प्वाइट :- सभी फ्लैटों में एक प्वाइट
11. टेलीफोन प्वाइट :- सभी फ्लैटों में एक प्वाइट
12. सिवरेज :- सिवरेज डिजाईन उपर्युक्त व्यवस्था के साथ
13. दिवाल फिनिशिंग :- अन्दर से प्लास्टर और पी.ओ.पी. के साथ
14. जेनरेटर (पावरबैक अप) :- कॉमन क्षेत्र के साथ प्रत्येक फ्लैटों के लिए 500 वाट का प्रावधान
15. जल-आपूर्ति :- एक क्रमटन मार्का समरसेबल पम्प द्वारा नीचे गहरे 4" x 3" नलकुप से
16. लिफ्ट :- ओटिस या कोने का लिफ्ट लगेगा।

भूतपट्ट स्वामी प्रथम पक्ष तथा विकासकर्ता द्वितीय पक्ष उपरोक्त सभी बातों पर सहमत हैं तथा वादा करते हैं कि मिला-जुल

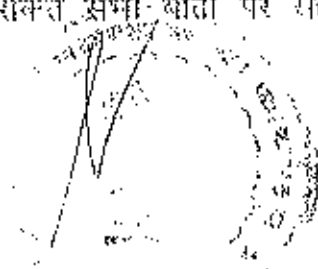
For the Construction & Development of Ltd.
Gandhi Kumbhakar
Amil R. R. R. R. R.
12/08/2011

2-5-11 12/8/11

12/8/2011

12/8/11

रविन्द्र कर्मा



कर इस कार्य को पूरा करेंगे। यह एकरारनामा बिना किसी दबाव के शांत स्वस्थ मन से अपना लाभ हानि समझकर निम्नलिखित गवाहों के सामने जो उक्त दस्तावेज पर काम आवे।

गवाहगण का हस्ताक्षर

1. Awadhesh Kumar Singh
705th Backlu Singh
Rajiv Nigla
Road NO-1
Patna-24

Dr. Anil Kumar Singh & Anand Kumar Singh

1. 12/08/2011

2. ललितेश्वर कुंभार 12/8/11

3. शंभू सिंह 12/8/11

4. संजीव कुमार उर्फ सैजय कुमार 12/8/11

5. रविन्द्र कुमार उर्फ पिन्डू कुमार 12/8/11

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

2. सन्तोष कुमार
पिता ब्रह्म देवसिंह
उनाई ओ सी.
रोड सिपाही.
पटना-20

New Era Construction & Developers (P) Ltd.
Gaudipur, Patna
12/08/11
12/08/11

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

प्रारूप तैयार किया।

Jay Prakash

मुद्रित किया:-

(संजीव कुमार)

उद्योगीजी का चैम्बर
समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

Chamber of 12/08/2011 Anand
(अनिल कुमार सिन्हा "उद्योगी")

अधिवक्ता,

बी.ए.(ऑनर्स), एम.ए., एल.एल.बी.
"चैम्बर", समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।



Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 05. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act		Rs.	155600	Amt. paid by N.J. Stamp Paper -		Rs. 5000
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act		Rs.		Amt. paid through Bank Challan -		Rs. 151579
		Registration Fee		LLR + Process Fee		Service Charge
FEE PAID	A1	0 C	0 H1b	0 Ka1	0 Lii	0
	A8	0 D	0 H2	0 K1b	0 Lii	0
	A9	0 DD	0 I	150 K1c	0 Mb	25
	A10	0 E	250 J1	0 K2	0 Na	6
	B	0 H1a	0 J2	0 Li	0	0
TOTAL-				479		
Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs.				979		
Date : 12/08/2011				Registering Officer Patna		

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Friday, 12th August 2011 by Lalan Singh S/O Late Baldeo Singh by profession Others. Status: Executant

Lalan Singh & Lalan Kumar Singh
12/8/2011

Signature / L.T.I. of Presentant Date: 12/08/2011

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those executants and identified by the person (identified by Awadhesh Kumar Singh age Sex M son/daughter of S/O Sri Bachchu Singh resident of Rajeev Nagar Road No.-1, Patna.) whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed as such on back page / pages of the Instrument.

Date : 12/08/2011

Registering Officer
Patna

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Patna in Book No. 1 Volume No. 356 on page no. 382 - 401 for the year 2011 and stored in CD Volume No. CD-56 year 2011. The document no. is printed on the front Page of the document.

Date: 12/08/2011

Registering Officer
Patna